जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

168/15

अपील सूचना का अधिकार संख्या 168/2015 श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री दलजीत सिंह वार्ड न0 2 चक 1 जीबी(ए) गांव 1 जीबी(ए) पोस्ट जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

31.03.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुखपाल सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुखपाल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2015 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर निम्न सूचना चाही थीः–

1. ग्राम पंचायत जैतसर द्वारा 01.01.1995 से लेकर 20.01.2015 तक ग्राम पंचायत जैतसर द्वारा जारी किये गये या काटे गये पटटो की (प्रमाणित प्रति) दी जावे।

अपीलार्थी श्री सुखपाल सिंह ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं उनके विरूत आवश्यक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या 3634 दिनांक 15.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया किया गया है कि प्रार्थी सुखपाल सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जैतसर ग्राम पंचायत में काटे गये भूखण्डो की सूचना चाही थी प्रार्थी का प्रा0 पत्र, पत्र सं0 2635 दिनांक 05.10.15 से विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीविजयनगर को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने के लिए लिखा था अपील का जबाब प्रस्तुत करने के लिए भी पत्रांक 3109–10 दिनांक 04.12.2015 द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीविजयनगर को लिखा गया है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर ने पत्र सं0 2635 दिनांक 05.1015 से विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीविजयनगर को निम्नानुसार लिखा जाकर पत्र की प्रति अपीलार्थी को भी सूचनार्थ दी गई हैः–

> उपयुर्क्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी सुखपाल सिंह पुत्र दलजीत सिंह द्वारा दिनांक 14.09.2015 को सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छाया प्रति पत्र के सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। आप प्रार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाते हुए इस कार्यालय को अवगत करवावें।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ का संबंध विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीविजयनगर से होने के कारण उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा प्रार्थी का प्रा0 पत्र विकास अधिकारी श्रीविजयनगर को दिनांक 05.10.2015 को भेजा गया है। अपीलार्थी को विकास अधिकारी, श्रीविजयनगर द्वारा अगर सूचनांए उपलब्ध नही करवाई गई है या करवाई गई है तो उससे कोई अप्रसन्नता हो तो वह इसके लिए उनके सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने के लिए स्वतन्त्र है। अपीलार्थी की अपील पर यहां से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

168/15

A3/2

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

778-79/18-4-6

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर